न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 10/2019 (उदयपुर आर्डर)

भैरूलाल पिता लखमीचन्द जी पालीवाल, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. देवराम पिता जयकिशन जी पालीवाल, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. चांदमल पिता जयकिशन जी पालीवाल, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. मांगीलाल पिता जयचन्द जी जाट, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी मांगीलाल जी जाट, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. प्रकाशचन्द्र पिता मांगीलाल जी जाट, निवासी चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. पटवारी, पटवार हल्का चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. उप पंजीयक सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, मावली दिनांक
15.07.2019 प्रकरण संख्या 17/2019

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री नूतन माहेश्वरी अभि. रे. सं. 1, 2, 3
3– श्री ओमप्रकाश डागलिया अभि.रे.सं. 1 से 5
4– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 03–08–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 12 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:29:58 IST
Reason: SelfAttested

का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चंगेडी में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित परिशिष्ट ''क'' अंकित आराजी नंबर 2807 से 2810 कुल किता 4 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व सोहनलाल, नारायणलाल, लक्ष्मीबाई तथा राजू, कमलेश, अनीता के पिता के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से से दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' क आराजी नंबर 1963 से 1973, 2603, 2605, 2611, 2614, 2615, 2620, 2623, 2624, 2630, 2633, 2636 से 2639, 2641 कुल किता 26 रकबा 49 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रार्थी व सोहनलाल, नारायणलाल, लक्ष्मीबाई तथा राजू, कमलेश, अनीता के पिता के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से से दर्ज है। उक्त आराजियात में प्रार्थी 1/10 हिस्सा, सोहनलाल का 1/10 हिस्सा, नारायणलाल का 1/10 हिस्सा, लक्ष्मीबाई का 1/10 तथा राजू, कमलेश, अनीता का 1/10 होकर व विपक्षी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजियात का अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है, जिससे विपक्षीगण आये दिन लडाई–झगड़ा करते हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने उक्त भूमि का बिना बंटवारा कराये विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में दिनांक 27–05–2019 को नुमाईशी विक्रय कर दिया है, जो प्रार्थी के मुकाबले शून्य व बेअसर है। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया तथा राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15–07–2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06–08–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नूतन माहेश्वरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश डागलिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:29:58 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने क्रेता को सद्भावी खरीददार मानने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने विपक्षी संख्या 1 व 2 को खातेदार मानकर निर्णय पारित किया है, जबकि विपक्षी संख्या 1 व 2 सहखातेदार हैं तथा एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के हिस्से का उपयोग–उपभोग करने एवं उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रेस्पोन्डेन्टगण को पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए यह माना है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय विपक्षी संख्ख्या 4 व 5 के पक्ष में किया गया है एवं खातेदार को अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है तथा क्रेतागण भी सद्भावी क्रेता होने से उन्हें अपने हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग से रोका नहीं जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आधारों पर अपीलान्ट/प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15–07–2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03–08–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.09.14 12:29:58 IST
Reason: SelfAttested